प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेस्टा,
होमगाईसं, 30प्र0,
लखनऊ।

होमगाईसं अनुभाग
लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2020

विषय: आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत चालू, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 30 इसास रायफल (फोल्ड बट) के क्रय के समन्वय में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-17/2020/567/पन्चायत-2020-76 होगा/13 पाट-1 दिनांक 24 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ माघण करने का काफी करें।

2. इस समन्वय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तार-2(1) में अंकित "उक्त रायफल का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने हुए नियमानुसार सुरक्षा, सूचना एवं माध्यम उद्योग विभाग द्वारा सामाजिक एवं वस्तुओं सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गर्वमेन्ट ई-अफायर्स (ओम)/ई-टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जायेगा" के स्थान पर "उक्त रायफल का क्रय सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने हुए नियमानुसार क्रय किया जायेगा" पढ़ा जायः

3. शासनादेश संख्या-17/2020/567/पन्चायत-2020-76 होगा/13 पाट-1 दिनांक 24 मार्च, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायः शेष शर्तयथासंगी।

4. यह आदेश वित्त (व्यापार नियंत्रण) अनुभाग-12 के अनुसार संख्या-ई-12-841/दस-2020 दिनांक 30 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अश्रदीय

निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2020/781(1)/पन्चायत-2020 तदनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखा, (लेखा एवं हस्ताक्षर) प्रथम 30प्र0, इलाहाबाद।
2. कोचाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त निर्मत, होमगाईसं जुड़घायल, 30प्र0 लखनऊ।
4. निर्देश, वित्तीय संस्थानों की निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यापार-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. वित्त (आय-व्यापार) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइलवजट सहायक।

आजा से

निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यप्रमित की जा सकती है।